

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

कमांक प0 5(4)देव/2002

जयपुर, दिनांक 08.10.2023


अधिसूचना

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 42 सन् 1959) की धारा 11 के साथ पठित राजस्थान प्रन्यास नियम, 1962 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को पाँच वर्ष की अवधि के लिये राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल का सदस्य नियुक्त करती है:-

1.	हिन्दू	1. श्री भंवरलाल पुजारी, सालासर 2. श्री सत्येन्द्र भारद्वाज, जयपुर 3. श्री ललित तिवारी (राजस्थान संगम) 4. संत भजनाराम, सिरोही 5. श्री ओंकारलाल मैनारिया, वल्लभनगर 6. श्री संतोष त्यागी, धौलपुर 7. श्री भंवरलाल विश्णोई 8. श्री राजीव शुक्ला, सुरोठ 9. श्री ओम राजोरीया, जयपुर 10. श्री मनीष शुक्ला, झालावाड़ 11. श्री खैमदास वैष्णव, जोधपुर 12. श्री विशाल व्यास, जोधपुर 13. श्री विकास व्यास, जैसलमेर 14. श्री सुनील दर्ईया
2.	जैन	1. श्री पवन मेहता, जोधपुर 2. श्री जसवंत गन्ना, उदयपुर 3. श्री महावीरचन्द मेहता, बालोतरा
3.	सिक्ख	1. श्री गुरचरण सिंह, जयपुर
4.	ईसाई	1. फादर विजय पॉल, जयपुर
5.	परसी	1. श्री आदरबाद मोटाफाम


श्री भंवललाल पुजारी, सालासर इस मण्डल के सभापति होंगे तथा इस मण्डल के सदस्य सचिव, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेश चन्द्र शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
5. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों के सहित सदस्यों को भिजवाने हेतु
6. निदेशक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
7. समस्त सदस्यगण
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्राकाशनार्थ
9. रक्षित पत्रावली


(विनोद कुमार प्रधान)
सहायक शासन सचिव